छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2681/2018

आदेश आरक्षित किया गया 21/11/2024
आदेश उद्घोशित किया गया 17/01/2025

गिरधर निषाद पिता स्व० महांगु राम निषाद, उम्र लगभग–46 वर्ष, साकिन– ग्राम अचानकपुर भाटापारा, जनपद पंचायत राजनान्दगांव, जिला–राजनान्दगांव, छत्तीसगढ़

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1–छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, पंचायत विभाग एवं ग्रामीण विकाश मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, पोस्ट एवं पुलिस थाना–नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2 कलेक्टर, राजनान्दगांव, जिला राजनान्दगांव, छत्तीसगढ़

3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

.....उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के लिए श्री अनिरुद्ध श्रीवास्तव अधिवक्ता एवं श्री राजेंद्र पटेल, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 की ओर से श्री शैलेन्द्र शर्मा पैनल अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 3 एवं 4 के लिए श्री श्री एच.एस. अहलूवालिया, अधिवक्ता

माननीय न्यायाधिपति श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद

सीएवी आदेश

1. याचिकाकर्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छ०ग० द्वारा पारित आदेश दिनांक 18/09/2017 से व्यथित है, जिसके द्वारा उन्हें जनपद पंचायत राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छ०ग० के अंतर्गत ग्राम पंचायत, अचानकपुर, भाटापारा के पंचायत सचिव के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इस याचिका में निम्नलिखित अनुतोष की मांग किया है :–

(i) यह कि माननीय न्यायालय, उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा पारित दिनांक 18/09/2017 (अनुलग्नक पी–1) के आदेश को रद्द करके उचित रिट जारी करने की कृपा करें।

(ii) यह कि माननीय न्यायालय उत्तरवादीगण के कब्जे से कारण बताओ सूचना और जांच रिपोर्ट, यदि कोई हो, सहित आक्षेपित आदेश जारी करने से संबंधित संपूर्ण अभिलेख मंगाने की कृपा करें।

(iii) कोई अन्य राहत, जिसे कि माननीय न्यायालय उचित समझे, भी याचिकाकर्ता के पक्ष में याचिका की लागत के साथ पारित की जा सके।

2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को पंचायत कर्मी के पद पर नियुक्त किया गया था तथा वे जनपद पंचायत राजनांदगांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत अचानकपुर, भाटापारा के सचिव के पद पर कार्यरत थे। दिनांक 17/04/2017 को उन्हें कारण बताओं सूचना जारी किया गया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने विभिन्न निर्माण कार्यो के दौरान वित्तीय अनियमितताएं किये है। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि वे व्यय के लिए संबंधित बिल प्रस्तुत करें। जब आवश्यक बिल और कारण बताओ सूचना का जवाब नहीं दिया गया, तो उन्हें फिर से दिनांक 14/08/2017 को एक सूचना भेजा गया। जिसमें निर्देश दिया गया कि उनके विरूद्ध लगाए गए आरोप के बारे में स्पष्टीकरण देने का यह अंतिम अवसर होगा। यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 14,53,640/– रुपये की वित्तीय अनियमितताएं की हैं। यद्यपि याचिकाकर्ता ने बिल और प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, तथापि यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने केवल 5,56,570/– रूपए के व्यय के संबंध में प्रमाण पत्र/बिल प्रस्तुत किए हैं तथा शेष वित्तीय अनियमितताओं के लिए उसने कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया है, तथापि आश्चर्यजनक रूप से, वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दिनांक 18/09/2017 को छत्तीसगढ़ पंचायत (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 (जिसे आगे नियम 1999 कहा जाएगा) के नियम 5 (बी) (छः) को लागू करते हुए सेवा से निष्कासन का आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता और संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच ने सी०ई०ओ०, जिला पंचायत, राजनांदगांव के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसमें कहा गया है कि अनजाने में हुई गलती के कारण वे व्यय के संबंध में संबंधित बिल प्रस्तुत नहीं कर सके, अब वे इसे प्रस्तुत कर रहे हैं और इस प्रकार कृपया इस पर विचार किया जाए और उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई वापस ली जाए, तथापि उक्त आवेदन पर विचार नहीं किया गया और आक्षेपित आदेश के तहत याचिकाकर्ता को सचिव, ग्राम पंचायत, अचानकपुर के पद से हटा दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि ना तो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उचित कारण से और ना ही उचित कारण से सेवा से हटाने का आदेश पारित करने से पहले ना तो जांच शुरू की गई है और ना ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि नहीं हुई है। तथापि सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना और 'नियम 1999' के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना उन्हें अवैध रूप से सेवा से हटा दिया गया है। इसलिए आक्षेपित आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

3. उत्तरवादीगण क्रमांक 1 और 2 राज्य ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए जवाब प्रस्तुत किये और आगे कहा है कि उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और सूचना जारी किया गया हैं, तथापि याचिकाकर्ता सूचना का जवाब देने में विफल रहे है और वे यह प्रमाणित करने में भी विफल रहे है कि उनके द्वारा कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की गई है। सी०ई०ओ० जिला पंचायत, राजनांदगांव, जिन्होंने आक्षेपित आदेश पारित किया है और सी०ई०ओ० जनपद पंचायत राजनांदगांव ने संयुक्त रूप से याचिका पर अपना जवाब दाखिल किये हैं। जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने वित्तीय अनियमितता की है और उन्हें और संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच को कई सूचना जारी किए जाने के बावजूद वे अपने द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के बारे में स्पष्टीकरण देने में विफल रहे हैं। 14,53,640/– रुपए की राशि का गबन किया गया है और सूचना जारी करने पर केवल 5,56,570/– रुपए के व्यय के प्रमाण पत्र और बिल प्रस्तुत किए गए हैं और शेष व्यय का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता को उचित प्रक्रिया के साथ–साथ सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था। इसलिए हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आक्षेपित आदेश हटाने का सही ढंग से पारित किया गया है। याचिका में कोई दम नहीं है। इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्री राजेंद्र पटेल, अधिवक्ता की ओर से याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध श्रीवास्तव ने कहा कि निष्कासन आदेश पारित करते समय अधिकारियों ने वैधानिकता का उल्लंघन किया है और 'नियम 1999' के नियम 7 के तहत परिकल्पित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किये है और सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, उन्होंने बहुत जल्दबाजी और जल्दबाजी में आक्षेपित आदेश पारित कर दिया है। 'नियम 1999' के नियम 7 में पंचायत के किसी सदस्य को उनकी सेवाओं से हटाने से पहले एक विशिष्ट प्रक्रिया का प्रावधान है। जिसमें सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के बाद उचित जांच की आवश्यकता होती है। जो नहीं दिया गया है। इसलिए आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाना आवश्यक है।

5. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 के विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है कि 14,53,640/– रुपए की

वित्तीय अनियमितताओं के बारे में आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता को कई सूचना जारी किए गए तथा भेजे गए, लेकिन सूचना के बावजूद याचिकाकर्ता ने अपने द्वारा किए गए कार्य के संबंध में व्यय के बारे में आवश्यक बिल प्रस्तुत नहीं किए। बार–बार सूचना दिए जाने पर भी उसने केवल 5,56,570/– रुपए के बिल/व्यय प्रस्तुत किये। याचिकाकर्ता को उचित प्रक्रिया के साथ–साथ सुनवाई का पर्याप्त अवसर भी दिया गया था। इसलिए याचिकाकर्ता अपनी दलीलें प्रस्तुत नहीं कर किये। अतः याचिका को प्रारंभिक चरण में ही निरस्त किया जाना चाहिऐ।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया गया। सी०ई०ओ० जिला पंचायत राजनांदगांव द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। सूचना तथा आदेश में उत्तरवादीगण/प्राधिकारियों द्वारा वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप लगाए गए हैं। आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम कारण बताओ सूचना दिनांक 17/04/2017 को जारी कर वर्ष 2015–2016 तथा 2016–2017 से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। परंतु जब इसका उत्तर नहीं दिया गया था। तो दिनांक 27/05/2017 को दूसरा कारण बताओ सूचना भी जारी किया गया। दिनांक 24/08/2017 को तीसरा कारण बताओ सूचना भी जारी किया गया था। लेकिन जब याचिकाकर्ता द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तथा कुल 14,53,640/– रुपए की वित्तीय अनियमितताओं में से केवल 5,56,570/– रुपए का ही स्पष्टीकरण याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया था। तब दिनांक 18/09/2017 को बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 22/09/2017 को ग्राम पंचायत के सरपंच ने शेष कार्य के बिल प्रस्तुत किए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इस याचिका में विचारणीय पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या 'नियम 1999' के नियम 5 और 7 के अंतर्गत परिकल्पित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं ?

8. त्वरित संदर्भ के लिए 1999 के नियम 5 के प्रासंगिक नियम नीचे उद्धृत हैं:–

"5. **दण्ड:–** निम्नलिखित दंड, अच्छे और पर्याप्त कारणों से, और जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है, पंचायत सेवा के सदस्य पर लगाया जा सकता है, अर्थात: –

(क) **लघु दण्ड–**

(i) निन्दा,

(ii) संचयी प्रभाव सहित या उसके बिना वेतन वृद्धि, ठहराव भत्ते या पदोन्नति को रोकना,

(iii) लापरवाही या आदेशों के उल्लंघन के कारण पंचायत या राज्य सरकार को हुई किसी भी आर्थिक हानि की पूरी या आंशिक राशि की वेतन से वसूली।

(ख) **प्रमुख दण्ड–**

(iv) रैंक में कमी, जिसके अंतर्गत निम्न पद या समय–मान या समय–मान में निम्नतर स्तर पर कमी शामिल है।

(v) अनिवार्य सेवानिवृत्ति,

(vi) सेवा से हटाया जाना, जिससे भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्य न माना जाए।

(vii) सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतः भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्यता होगी।

बशर्ते कि ऐसे सदस्य के प्रकरण में जिन्हें पंचायत सेवा में आवंटित किया गया है और जो नियमों और शर्तों के अनुसार और उनकी सेवा की शर्तें, जो ऐसे आवंटन से पूर्व उन पर तत्काल लागू थीं, दण्ड या जुर्माने के लिए उत्तरदायी नहीं थी, उन पर कोई दण्ड या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. 1999 के नियम 7 का उल्लेख नीचे दिये गये हैं:–

7. **मुख्य दण्ड लगाने की प्रक्रिया** (1) कोई आदेश, पंचायत सेवा के किसी सदस्य पर नियम 5 के खंड (iv) से (vi) में विनिर्दिष्ट कोई भी दंड अधिरोपित करने के लिए, जहां तक सम्भव हो, इसमें आगे दिए गए तरीके से औपचारिक जांच किए जाने के पश्चात ही पारित किया जाएगा।

(2) जब औपचारिक जांच के लिए आदेश दिया गया हो, तो अनुशासनिक प्राधिकारी आरोपों के आधार पर निश्चित आरोप तय करेगा और आरोपों के कथन के साथ–साथ ऐसे आरोपों को पंचायत सेवा के सदस्य को संसूचित करेगा तथा उनसे यह भी अपेक्षा करेगा कि वे विनिर्दिष्ट समय के भीतर बचाव का लिखित कथन प्रस्तुत करें तथा यह भी बताए कि क्या वे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की इच्छा रखते है।

(3) जिस व्यक्ति के विरुद्ध जांच की जानी है, उन्हें अपना बचाव तैयार करने के प्रयोजन के लिए ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण करने तथा उनमें से उद्धरण लेने की अनुमति होगी, जैसा कि वे विनिर्दिष्ट करें।

परन्तु ऐसी अनुमति देने से इंकार किया जा सकेगा, यदि लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, जांच अधिकारी की राय में ऐसे अभिलेख उस प्रयोजन के लिए सुसंगत नहीं हैं या उन तक उनकी पहुंच की अनुमति देना लोकहित के विरुद्ध है।

(4) बचाव का लिखित कथन प्राप्त होने पर या यदि ऐसा कोई कथन निर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं उन आरोपों की जांच कर सकते है, जो स्वीकार

नहीं किए गए हैं या जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त कर सकते है और उन्हें अपनी रिपोर्ट और यदि सलाह दी जाए तो सभी जांच पत्रों के साथ अपनी सिफारिश भेजें।

(5) अनुशासनिक प्राधिकारी आरोपों के समर्थन में जांच अधिकारी के समक्ष मामला प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित कर सकेगा। पंचायत सेवा का सदस्य जांच अधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य पंचायत सेवक या राज्य सरकार के सेवक की सहायता से अपना मामला प्रस्तुत कर सकेगा, किन्तु वे इस प्रयोजन के लिए किसी विधि व्यवसायी को नियुक्त नहीं कर सकेगा, जब तक कि पूर्वोक्त अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति विधि व्यवसायी ना हो या जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने की अनुमति ना दे।

(6) यदि पंचायत सेवा का सेवक व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की इच्छा रखते है, तो उनकी सुनवाई की जाएगी। यदि वे ऐसा चाहते है या यदि अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा निर्देश देते है, तो जांच अधिकारी द्वारा मौखिक जांच की जाएगी। ऐसी जांच में उन आरोपों के बारे में साक्ष्य सुने जाएंगे जो स्वीकार नहीं किए गए हैं और आरोपित व्यक्ति साक्षी से प्रतिपरीक्षण करने, व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य देने, दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, पेश करने और ऐसे साक्षी को बुलाने का हकदार होगा। जिसे वे चाहे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परन्तु जांच अधिकारी, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, किसी गवाह को बुलाने से इंकार कर सकेगा।

(7) जांच के समापन पर, जांच अधिकारी जांच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें प्रत्येक आरोप पर उसके कारणों सहित उसके निष्कर्ष दर्ज किए जाएंगे।

(8) आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही में पर्याप्त अभिलेख शामिल होगा।

(i) ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोप और आरोपों का विवरण,

(ii) बचाव का लिखित कथन, यदि कोई हो,

(iii) जांच के दौरान लिया गया मौखिक साक्ष्य,

(iv) जांच के दौरान विचार किए गए दस्तावेजी साक्ष्य,

(v) जांच अधिकारी या अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच के संबंध में दिए गए आदेश, यदि कोई हों,

(vi) प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष तथा उनके कारणों को बताने वाली एक रिपोर्ट।

(9) यदि जांच अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी से भिन्न है तो वे ऊपर खंड (8) में उल्लिखित कार्यवाहियों के अभिलेख लगाए जाने वाले दण्ड से संबंधित सिफारिश के बिना अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी जांच के अभिलेख और प्रत्येक आरोप पर

अपने निष्कर्षों पर विचार करेगा, आरोपों पर निष्कर्षों और अभिलेख (यदि कार्यवाही हो) को ध्यान में रखते हुए यदि उनकी राय है कि नियम 5 के खंड (iv) से (vii) में निर्दिष्ट कोई दण्ड लगाया जाना चाहिए, तो वे आरोपित व्यक्ति को जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति देगा और जहां अनुशासनिक प्राधिकारी जांच अधिकारी नहीं है। वहां जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति के संक्षिप्त कारणों, यदि कोई हो, सहित अपने निष्कर्षों का विवरण देगा।

(10) अनुशासनिक प्राधिकारी सूचना के प्रत्युत्तर में आरोपित व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगा तथा यह निर्धारित करेगा कि क्या कोई दण्ड लगाया जाना चाहिए, यदि कोई हो, तथा प्रकरण पर समुचित आदेश पारित करेगा।

(11) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश पंचायत सेवा के सदस्य को संसूचित किए जाएंगे, जिन्हें जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति भी दी जाएगी और जहां अनुशासनिक प्राधिकारी जांच अधिकारी नहीं है। वहां जांच अधिकारी के निष्कर्षो से असहमति के संक्षिप्त कारणों सहित उनके निष्कर्षों का विवरण, यदि कोई हो, दिया जाएगा, जब तक कि वे पहले ही आरोपित व्यक्ति को नहीं दे दिए गए हों।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उपरोक्त नियमों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपेक्षित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। किसी भी निष्कासन आदेश को पारित करने से पहले औपचारिक जांच की जानी आवश्यक है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी अपराधी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के आधार पर निश्चित आरोप तय करेगा। अपराधी को अपना जवाब और बचाव प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर दिया जाना चाहिए और उन्हें यह बताना होगा कि वे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करना चाहते है या नहीं। नियमों में आगे कहा गया है कि बचाव तैयार करने के लिए उन्हें अभिलेखों का निरीक्षण करने और उनसे उद्धरण लेने की अनुमति दी जानी चाहिए और यदि ऐसा करने से इनकार किया जाता है, तो कारण बताए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त अपराधी के जवाब/लिखित कथन की प्राप्ति के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी आरोपों की जांच कर सकते है, जांच अधिकारी नियुक्त कर सकते है और अपराधी को सुनवाई का पूरा अवसर देते हुए जांच कर सकते है। यदि पंचायत सेवक व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करना चाहते है तो उन्हें सुनवाई का उचित अवसर देते हुए सुनवाई की जानी चाहिए। उन्हें सक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने का अवसर भी दिया जाना आवश्यक है। संक्षेप में, अपराधी को उचित अवसर दिया जाना चाहिए। सुनवाई का प्रत्येक अवसर दिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक स्तर पर उचित प्रक्रिया का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए।

11. सेवा से हटाया जाना एक बड़ा दंड है। जो सिविल परिणामों की प्रकृति का है और इसलिए यदि कोई सिविल परिणाम वाला आदेश पारित किया जाना है, तो आवश्यक प्रक्रियाएँ और साथ

ही सुनवाई का अवसर पवित्र होगा और जब तक उचित प्रक्रिया और ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांतों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है और इसे मान्यता भी नहीं दी जा सकती है। सभ्य समाज में किसी को भी बचाव के लिए सुनवाई का अवसर दिए बिना दंडित नहीं किया जा सकता है।

12. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने एक समान याचिका में **प्रकाश चंद सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य के प्रकरण में डब्ल्यू०पी०एस० संख्या 1846/2011** में दिनांक 15/07/2015 को एक आदेश पारित किया था और इसे निम्नानुसार माना गया था।

(3) निर्धारण हेतु उठा संक्षिप्त मुद्दा यह है कि क्या पं**चायत सचिव की सेवाओं को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999** (संक्षेप में नियम, 1999) के नियम 7 के अंतर्गत परिकल्पित जांच किए बिना समाप्त किया जा सकता है ?

(4) बेशक, कुछ आरोपों पर याचिकाकर्ता के विरूद्ध जांच की गई और अंततः, अनुलग्नक आर/4 के तहत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उसके बाद, दिनांक 28/04/2008 को अनुलग्नक आर/3 के तहत उन्हें कारण बताओ सूचना जारी किया गया। इसलिए उन्हें हटाने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है। तथापि, साथ ही, यह भी देखा जाना चाहिए कि **रूपलाल नायक बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य 2006(4) एम०पी०एच०पी० 99 (सी०जी०)** के प्रकरण में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने माना है कि नियम, 1999 के नियम 5(बी) (iv) के तहत निर्धारित कोई भी प्रमुख दंड पंचायत सेवा के सदस्य पर, जिस पर उक्त नियम लागू होते हैं, नियम, 1999 की धारा 7 के तहत परिकल्पित नियमित विभागीय जांच किए बिना नहीं लगाया जा सकता है।

(5) इस प्रकरण में, एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जिसने किसी तरह की जांच किया और एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तथापि, यह नियम 7 के तहत विभागीय जांच से कम है। उक्त प्रावधानों में "औपचारिक जांच" शब्दों का उपयोग किया गया था। जिसमें आगे यह भी कहा गया था कि जब औपचारिक जांच के लिए आदेश दिया गया है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी निश्चित आरोप तय करेगा, आरोपों के कथन के साथ अपराधी को इसकी सूचना देगा। उन्हें निर्दिष्ट समय के भीतर बचाव का लिखित कथन प्रस्तुत करने और यह भी बताने की आवश्यकता होगी कि क्या वे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करना चाहते है। इसके बाद, बचाव पक्ष को अभिलेख का निरीक्षण करने और उसमें से उद्धरण लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसे लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है। अपराधी द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने पर, अनुशासनात्मक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्राधिकारी स्वयं जांच कर सकते है या जांच अधिकारी नियुक्त कर सकते है। अपराधी द्वारा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति और कुछ अन्य अधिकारियों की सहायता लेने की भी परिकल्पना की गई है। जांच अधिकारी को साक्ष्य अभिलिखित करने का भी अधिकार है और उसके बाद, जांच के समापन पर, जांच अधिकारी को जांच रिपोर्ट तैयार करनी होती है। जिसकी प्रति अपराधी को देनी होती है। इस प्रकार, नियमों के तहत परिकल्पित औपचारिक जांच **सी०जी० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966** के नियम 14 के तहत नियमित जांच के लिए निर्धारित प्रक्रिया के समान है।"

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम बनाम शकुंतला एवं अन्य (2010) 12 एस०सी०सी० 448** के प्रकरण में पैराग्राफ 15 में निम्न प्रकार से निर्णय दिया है–

15. कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में नीति बदलने का विवेक, जो वर्तमान प्रकरण में प्रतीत होता है, निष्पक्ष रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए और यह धारणा नहीं देनी चाहिए कि ऐसा मनमाने ढंग से या किसी गुप्त मानदंड द्वारा किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय को यह देखा है कि यह प्रश्न कि क्या आरोपित कार्रवाई मनमाना है या नहीं, अंततः दिए गए प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उत्तर दिया जाना है। यह सही रूप से माना गया था कि जहां किसी कार्य को करने के लिए एक विशेष तरीका निर्धारित किया गया है और प्रक्रिया को अपनाने में कोई बाधा नहीं है, एक अलग तरीके से कार्य करने के लिए विचलन जो किसी भी स्पष्ट सिद्धांत को प्रकट नहीं करता है। जो स्वयं उचित है।

उसे मनमाना के रूप में लेबल किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 **एस०सी०सी० ऑनलाइन एस०सी० 3032 में जी०एल०ए०एस० ट्रस्ट कंपनी एल०एल०सी० बनाम बायजू रवींद्रन एवं अन्य** के बीच दर्ज एक हालिया प्रकरण में पैराग्राफ 69 और 70 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:–

69. मिसाल के तौर पर, इस न्यायालय ने माना है कि "अंतर्निहित शक्तियों" का प्रयोग उन मामलों में किया जा सकता है। जहाँ विधिक ढांचे के तहत कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि, ऐसी शक्तियों का प्रयोग कानून के स्पष्ट प्रावधानों के उल्लंघन, संघर्ष या अज्ञानता में नहीं किया जा सकता है। वे इस तरह के एक प्रकरण में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ की टिप्पणियों का संदर्भ दे सकते हैं। **राम चंद एंड संस शुगर मिल्स पी० लिमिटेड जे कन्हैयालाल भार्गव, 1966 एस०सी०सी० ऑनलाइन एस०सी० 215** में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है जिसमें न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव का अभिमत

है कि (जैसा कि उस समय विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे) ने राय दी, देखें पृष्ठ 45/37 कॉम्प कैस।

> "उक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, संहिता की धारा 151 के तहत न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का दायरा इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति संहिता के तहत स्पष्ट रूप से प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त और पूरक है। लेकिन उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा यदि उसका प्रयोग संहिता के अन्य प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति के साथ असंगत है या उसके साथ संघर्ष में आता है। यदि किसी विशेष विषय को व्यापक रूप से कवर करने वाले स्पष्ट प्रावधान हैं, तो वे एक आवश्यक निहितार्थ को जन्म देते हैं कि उक्त विषय के संबंध में उक्त प्रावधानों द्वारा निर्धारित तरीके के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से कोई शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। संहिता की धारा 151 के प्रावधानों पर निर्माण द्वारा जो भी सीमाएं लगाई जाती हैं, वे न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपयुक्त आदेश देने के लिए संहिता की धारा 151 के तहत प्रदत्त न्यायालय की निस्संदेह शक्ति को नियंत्रित नहीं करती हैं।"

(जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

70. जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई प्रक्रिया पूरी तरह से निर्धारित की गई हो, तो उक्त प्रावधानों द्वारा निर्धारित तरीके के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से कोई शक्ति प्रयोग नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में, न्यायालय को निर्धारित प्रक्रिया से विचलित होने के लिए अपनी "अंतर्निहित शक्तियों" का उपयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए। यदि ऐसा विचलन किया जाता है, तो न्यायालय को यह उचित ठहराना चाहिए कि "न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने" के लिए ऐसा करना क्यों आवश्यक था।

15. यदि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार के आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती। वर्तमान प्रकरण में, कोई भी प्रक्रिया लागू नहीं हुई है। 'नियम 1999' के नियम 7 के अंतर्गत परिकल्पित प्रावधानों का पालन किया गया है, जो सूचना तथा आक्षेपित आदेश से स्पष्ट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस माननीय न्यायालय ने कई बार कई निर्णय पारित किए हैं, जिसमें यह संकेत दिये गये हैं कि निर्धारित नियमों का उद्देश्य केवल यह देखना नहीं है कि उनका पालन किया जाना चाहिए। प्रकरण के समग्र पहलुओं पर विचार करते हुए, दिनांक 18/09/2017 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। जिसके द्वारा याचिकाकर्ता, एक पंचायत कर्मी (सचिव)

ग्राम पंचायत को 'नियम 1999 के नियम 7 का पालन किए बिना उनकी सेवाओं से हटा दिया गया है। याचिकाकर्ता को सभी परिणामी राहतों के साथ बहाल किया जाना आवश्यक है।

16. इन टिप्पणियों के साथ याचिका स्वीकार की जाती है।

परिव्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

सही/–
अमितेन्द्र किशोर प्रसाद
न्यायाधिपति

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur